19 अल्पसंख्यक शिक्षा

1.कौशल विकास शिविर (Skill Development Camp)

भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, राजस्थान की कार्य योजना एवं बजट सत्र 2010–11 के लिए नवाचारी शिक्षा मद की उपमद **अल्पसंख्यक शिक्षा** में कौशल विकास गतिविधि का अनुमोदन किया गया है। जिलेवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निम्न प्रकार है –

(राशि लाखों में)

District wise Target (Physical & Financial)								
S.No.	Districts	Financial Target	SKILL DEV. CAMP		S.No.	Districts	Financial Target	SKILL DEV. CAMP
1	Ajmer	15.000	01 (1.200)		17	Jaisalmer	11.622	02 (2.400)
2	Alwar	15.000	00		18	Jalore	8.764	01 (1.200)
3	Banswaran	8.197	01 (1.200)		19	Jhalawar	9.493	01 (1.200)
4	Baran	10.003	01 (1.200)		20	Jhunjhunu	12.491	01 (1.200)
5	Barmer	15.000	01 (1.200)		21	Jodhpur	14.964	02 (2.400)
6	Bharatpur	15.000	00		22	Karoli	7.583	01 (1.200)
7	Bhilwara	12.817	01 (1.200)		23	Kota	10.920	02 (2.400)
8	Bikaner	11.505	02 (2.400)		24	Nagour	14.882	02 (2.400)
9	Bundi	8.667	01 (1.200)		25	Pali	12.418	01 (1.200)
10	Chittorgarh	12.572	01 (1.200)		26	Pratapgarh	7.584	01 (1.200)
11	Churu	11.463	01 (1.200)		27	Rajsamand	8.069	01 (1.200)
12	Dausa	6.964	01 (1.200)		28	S.Madhopur	11.537	02 (2.400)
13	Dholpur	7.412	01 (1.200)		29	Sikar	14.691	02 (2.400)
14	Dungerpur	7.146	01 (1.200)		30	Sirohi	8.147	01 (1.200)
15	Hanumangarh	9.078	01 (1.200)		31	S.Ganganagar	10.453	02 (2.400)
16	Jaipur	14.740	01 (1.200)		32	Tonk	10.385	01 (1.200)
					33	Udaipur	12.098	02 (2.400)

1. **अवधि –**

अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं हेतु जिलों में 15 मई, 2010 से कौशल विकास शिविरों का आयोजन किया जाना है। इन आवासीय शिविरों में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में अध्ययनरत बालिकाओं को सम्मिलित किया जायेगा। इन आवासीय शिविरों में बालिकाओ में कम्प्यूटर दक्षता के साथ कम से कम एक क्षेत्र में कौशल विकास किया जायेगा एवं शैक्षणिक दक्षता उन्नयन हेतु विषयगत अध्ययन भी कराया जायेगा।

2. **कौशल विकास शिविरों के स्थान –**

ये शिविर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों/जिलों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में स्थापित किये गये कम्प्यूटर लैब में अथवा सुविधा युक्त बडे विद्यालयों में संचालित किये जायेंगें। **इस हेतु कोई किराया देय नहीं होगा।**

3. **समूह –**

प्रत्येक शिविर में अधिकतम 40 बालिकाएं होगी। बालिकाओं के 20–20 के समूह बनाये जायेगें। दोनों समूहों में एक समूह की बालिकाएं एक समय में कम्प्यूटर लैब में एवं दूसरे समूह की बालिकाएं कौशल विकास गतिविधि में भाग लेंगी। इस प्रकार मध्यान्ह पश्चात प्रथम समूह की बालिकाएं कौशल विकास गतिविधि एवं द्वितीय समूह कम्प्यूटर लैब में प्रशिक्षण लेगा। यदि पर्याप्त स्थान, फर्नीचर एवं कम्प्यूटर इत्यादि उपलब्ध हो तो 40 बालिकाओं का एक ही समूह बनाया जा सकता है और आधे समय कम्प्यूटर एवं शेष समय कौशल विकास गतिविधि चलाई जा सकती है।

4. **शिविर संचालन समिति –**

- ✓ शिविर के प्रभावी संचालन हेतु निम्न कमेटी होगी –
  1. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (डाईट में कैम्प आयोजित होने की स्थिति में डाइट प्राचार्य) — अध्यक्ष
  2. जिला मुख्यालय पर कार्यरत नवाचारी शिक्षा कार्यक्रम प्रभारी — सदस्य
  3. बीआरसीएफ/बीईईओ — सदस्य
     एमआईएस/डाइट लैब का ईन्चार्ज व्याख्याता (यदि कैम्प स्थल डाइट हो) — सदस्य
  4. एसडीएमसी का अध्यक्ष — सदस्य सचिव
  5. शिविर वार्डन — सदस्य
- ✓ शिविर के प्रभावी संचालन का दायित्व उक्त समिति का होगा। एसडीएमसी अध्यक्ष एवं वार्डन समिति की अभिशंषा के पश्चात समस्त क्रय के लिए अधिकृत होंगें। इस समिति द्वारा शिविर में बालिकाओ के आवास, भोजन, सुरक्षा, प्रशिक्षण एवं अन्य समस्त व्यवस्था को सुनिश्चित करना है।

5. **मॉनीटरिंग एवं निरीक्षण –**

- ✓ जिला परियोजना समन्वयक (DPC) 15 दिवस में कम से कम एक बार इन शिविरों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे।
- ✓ अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (ADPC), सप्ताह में कम से कम एक बार इन शिविरों की आकस्मिक निरीक्षण अवश्य करेंगे।
- ✓ **जिला प्रभारी अधिकारी (परिषद् मुख्यालय) भी 15 मई से 30 जून के मध्य जिले की विजिट करेंगे एवं जिले में संचालित ''कौशल विकास शिविर'' का निरीक्षण कर व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे।**
- ✓ शिविरों के प्रभावी संचालन एवं मॉनीटरिंग हेतु बीआरसीएफ/बीईईओ भी सप्ताह में कम से कम दो बार कैम्प का विजिट करेंगे। कमजोरी के क्षेत्रों में सम्बलन प्रदान करते हुए एवं अपने सुझावों सहित रिपोर्ट जिला परियोजना समन्वयकों के साथ–साथ परिषद् मुख्यालय को भी प्रेषित करेंगे।
- ✓ शिविरों में समस्त महिला कार्मिक कैम्प स्थल पर ही रात्रि विश्राम करेंगे। इनके लिए भोजन एवं आवास का प्रावधान किया गया है।

6. **योग्यताएं –**

- ✓ कम्प्यूटर दक्षता विकास हेतु एक कम्प्यूटर इन्स्ट्रक्टर, जो कि कम्प्यूटर में कम से कम ''O'' लेवल का प्रमाण पत्र रखते हो, लगाया जायेगा।
- ✓ उच्च योग्यताधारी एवं महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावे।
- ✓ कौशल विकास विकसित करने हेतु इन्स्ट्रक्टर सम्बन्धित कौशल विकास में दक्षता रखता हो एवं प्रशिक्षित का चयन किया जावे। इस कार्यक्रम हेतु भी महिला प्रशिक्षित को प्राथमिकता दी जावे।
- ✓ शिविर हेतु कम्प्यूटर इन्स्ट्रक्टर एवं अन्य कौशल विकास गतिविधि के चयन के लिए जिला परियोजना समन्वयक की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की जायेगी, जिसमें नवाचारी कार्यक्रम प्रभारी (APC), कम्प्यूटर प्रभारी/एमआईएस प्रभारी एवं बीआरसीएफ/बीईईओ सदस्य होगें।
- ✓ चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में से योग्यतम एवं समर्पित व्यक्तियों का चयन किया जावे। **महिलाओं को प्राथमिता दी जावे।**

- ✓ वार्डन कम सन्दर्भ शिक्षक महिला होनी चाहिए तथा शैक्षिक योग्यता बी.ए., बी.एड होनी चाहिए। उच्च योग्यताधारी /कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डन को प्राथमिकता दी जा सकती है।
- ✓ नियमित विषय अध्ययन हेतु एक संदर्भ शिक्षक रखा जावेगा, जो बीए., बी.एड योग्यता रखता हो। महिला अभ्यार्थी को प्राथमिकता दी जावें। सन्दर्भ शिक्षक शिविर संचालन से एक घण्टा पूर्व एवं एक घण्टा पश्चात बालिकाओं को नियमित पाठ्यक्रम के विषय गणित/अंग्रेजी/विज्ञान का अध्ययन करवाएगे।

7. बजट एवं वित्तीय मानदण्ड –

- ✓ शिविर से सम्बन्धित बजट राशि निकट के एसडीएमसी खाते में हस्तान्तरित की जावें।
- ✓ उक्त शिविर में होने वाले समस्त व्यय का भुगतान गठित संचालन समिति की अनुशंषा पश्चात किया जावेगा।
- ✓ शिविर समाप्ति के 10 दिवस में उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत करना होगा। जिला कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही समायोजन राशि का आदेश जारी किया जावें।
- ✓ **निर्धारित बजट से अधिक राशि किसी भी स्थिति में व्यय नहीं की जा सकेगी, परन्तु बच्चों की संख्या कम होने पर अनुपातिक व्यय ही किया जावे।**
- ✓ समायोजन राशि एवं असमायोजन राशि के सम्बन्ध में जिला स्तर एवं ब्लॉक एसडीएमसी स्तर अभिलेख संधारित किये जावें।
- ✓ अनावश्यक भुगतान रोके जाने एवं उसी वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं होने पर अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान करने की स्वीकृति नहीं दी जावेगी।
- ✓ शिविर की यूनिट कॉस्ट 1.20 लाख प्रति कैम्प होगी। विभाजन निम्न प्रकार है –

क्रसं	मद	दर	राशि
1	कम्प्यूटर इन्स्ट्रक्चर	200x1x40	8,000
2	कौशल विकास प्रशिक्षित संदर्भ व्यक्ति	200x1x40	8,000
3	वार्डन कम शिविर प्रभारी	250x40	10,000
4	सन्दर्भ शिक्षक	150x40	6,000
5	चौकीदार कम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	100x1x40	4,000
6	भोजन, चाय, नाश्ता इत्यादि	40x45x40	72,000
7	तैल/साबुन/मंजन इत्यादि	25x40	1,000
8	बालिकाओं का एक बार आने/जाने का वास्तविक किराया	25x40	1,000
9	टीएलएम (बालिकाओं हेतु)	50x40	2,000
10	कन्टीज़ैन्सी एवं डाक्यूमेन्टेशन	-	6,000
11	कम्प्यूटर एवं कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु सहायक सामग्री	-	2,000
	योग		**120,000**

नोट – कम्प्यूटर मैन्टीनेन्स/रख–रखाव यदि आवश्यक हो तो कन्टीज़ैन्सी एवं डाक्यूमेन्टेशन मद से व्यय किया जा सकता है। बालिकाओं के प्रशिक्षण स्थल पर बीमार होने पर इलाज़ हेतु दवाईयों की व्यवस्था कन्टीज़ैन्सी मद से की जा सकती है।

8. गतिविधियाँ –

इन शिविरों में निम्न कौशल विकास गतिविधियों को सम्मिलित किया जा सकता है –
कढाई–बुनाई, ड्रेस मेकिंग, योग प्रशिक्षण, रंगाई–छपाई, टेरी कोटा वर्क, बुक बाईडिंग, ब्यूटी पार्लर, पपैट मैकिंग (कपडा, मिट्टी एवं प्लास्टर ऑफ पेरिस के खिलौने) इत्यादि।
गतिविधियों का निर्धारण करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उनसें सम्बन्धित प्रशिक्षित इन्स्ट्रक्टर जिले में उपलब्ध हो।

9. **प्रमाण पत्र –**

- ✓ शिविर समाप्ति से पूर्व कम्प्यूटर एवं कौशल विकास गतिविधियों का टैस्ट आयोजित किया जायेगा।
- ✓ बालिकाओं को टैस्ट के आधार पर प्रमाण पत्र वितरित किये जावें।
- ✓ प्रमाण पत्र सम्बन्धित सीआरसीएफ/बीईईओ एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) पदेन जिला परियोजना समन्वयक के हस्ताक्षरों से जारी किए जावें।
- ✓ शिविर में भाग लेने वाले बालिकाओं के रिजल्ट, प्रतिवेदन/डाक्यूमेन्टेशन की एक प्रति परिषद् मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें।

संशोधन

अल्पसंख्यक बालिकाओं हेतु कौशल विकास गैर आवासीय संचालित करने के क्रम में।

जिला झालावाड/बासंवाडा/धौलपुर।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा अल्पसंख्यक शिक्षा मद के अन्तर्गत संचालित कौशल विकास शिविरों को गैर आवासीय संचालित करने की स्वीकृति चाही है। अतः आपको उक्त कौशल विकास शिविरों (केवल अल्पसंख्यक) को गैर आवासीय संचालित करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है। बजट का प्रयोग निम्न प्रकार किया जाए –

क्र.सं.	मद		राशि
1	कम्प्यूटर इस्ट्रक्टर	200x1x40	8000
2	कौशल विकास गतिविधि इस्ट्रक्टर	200x1x40	8000
3	भोजन, चाय, नाश्ता	25x40x40	40000
4	टी.एल.एम.	50x40	2000
5	कन्टीजैन्सी एण्ड डाक्यूमेन्टेशन		4000
6	कम्प्यूटर एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण सामग्री		2000
	योग		**64000**

- छात्राओं की संख्या कम होने पर क्रमांक 3 से 6 तक में आनुपातिक व्यय किया जाए।
- दिनों की संख्या कम होने पर क्रमांक 1 एवं 2 एवं अन्य का आनुपातिक भुगतान किया जाए।
- निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं करें।
- शेष शर्त पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप यथावत रहेगी।

1. शैक्षिक भ्रमण (एक्सपोज़र विज़ट)

परिचय –

बालिकाओं के ठहराव को सुनिश्चित करने के साथ–साथ शैक्षिक भ्रमण बालिकाओं के लिए बाहरी दुनिया को देखकर (सीखना, अनुभव करना) उनके लिए आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व को निखारने में उपयोगी होता है। बालिकाओं को मनोरंजन के साथ–साथ अधिक से अधिक सीखने को मिले, इस दृष्टि से विभिन्न स्थानों यथा ऐतिहासिक स्थलों, बैंक, रेलवे स्टेशन, डाकघर, म्यूजियम, चिडियाघर, मॉल, गार्डन, विभिन्न औद्योगिक कारखानों, एयरपोर्ट आदि स्थानों पर भ्रमण कराया जा सकता है।

दिशा निर्देश –

- ✓ बालिकाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रबन्ध किए जाने चाहिए।
- ✓ प्रत्येक 25 बालिकाओं पर एक शिक्षक अर्थात 100 बालिकाओं पर चार शिक्षक होने चाहिए। चार शिक्षक में से तीन महिला शिक्षक एवं एक पुरुष शिक्षक होना अनिवार्य है।
- ✓ शैक्षिक भ्रमण पर जाने वाली प्रत्येक बालिका को एक कॉपी व एक पैन उपलब्ध कराया जाना है।
- ✓ भ्रमण के दौरान एवं भ्रमण के उपरान्त बालिकाओं से उनके अनुभव लिखवाएं जाने है तथा उन्हें अन्य बालिकाओं के साथ अनुभव बाँटने का मौंका दिया जाये।

- ✓ भ्रमण के दौरान फोटो खींचने/खिचवाने की भी व्यवस्था की जाएं एवं बालिकाओं को भी उनसे सम्बन्धित फोटोग्राफ उपलब्ध कराएं जाए।
- ✓ प्रत्येक जिले से कुल 100 बालिकाओं को भ्रमण दल में सम्मिलित किया जाना है।
- ✓ शैक्षिक भ्रमण अक्टूबर/नवम्बर, 2010 में मध्यावति अवकाशों के दौरान किया जाना है।
- ✓ शैक्षिक भ्रमण की अवधि 4 दिवस से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ✓ शैक्षिक भ्रमण की अधिकतम दूरी 300 किमी. से अधिक नहीं होनी चाहिए एवं भ्रमण अन्तर जिला होना अनिवार्य है।

चयन का आधार –

- उन ब्लॉक की अल्पसंख्यक बालिकाओ को भ्रमण दल में प्राथमिकता से सम्मिलित किया जावें, जहां जेण्डर गेप अधिकतम है।
- गत परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त छात्राओं को प्राथमिकता देवें।
- भ्रमण हेतु कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक बालिकाओं को ही सम्मिलित किया जाना है।
- बीपीएल परिवार की अल्पसंख्यक बालिकाओं को भी भ्रमण दल में सम्मिलित करें।
- **कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयो में अध्ययनरत बालिकाओं को सम्मिलित नहीं किया जाए।**

बीआरसीएफ/बीईईओ द्वारा अपने–अपने ब्लॉक से शैक्षिक भ्रमण पर जाने वाली बालिकाओं की सूची निम्न प्रारूप में 30 अगस्त, 2010 तक जिला मुख्यालय एवं परिषद् मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें, जिससें जिला मुख्यालय द्वारा स्वीकृति जारी की जा सके।

प्रपत्र

जिले का नाम – **ब्लॉक का नाम –**

क्र.सं.	छात्रा का नाम	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	कक्षा जिसमें अध्ययनरत	गत कक्षा में प्राप्तांक	वि.वि.

नोट – शैक्षिक भ्रमण विवरण भी संक्षिप्त में लिखे यथा कहां एवं किन स्थानों पर भ्रमण किया जाना है।

1. भ्रमण का प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ, बालिकाओं की सूची एवं उनके अनुभवों को सम्मिलित करते हुए परिषद मुख्यालय पर अवश्य भिजवाएं।
2. किसी भी स्थिति में निर्धारित बजट से अधिक राशि व्यय नहीं की जाए। बालिकाओं की संख्या कम होने पर अनुपातिक व्यय किया जावें।
3. भ्रमण से लौटने पर 15 दिवस में समयोजन हेतु बिल बीआरसीएफ/बीईईओ द्वारा जिला मुख्यालय पर भिजवाना सुनिश्चित करें।
4. किसी भी दशा में गतिविधि पर व्यय का भुगतान आगामी सत्र में नहीं किया जावेगा। देरी के लिए सम्बन्धित ब्लॉक का बीआरसीएफ/बीईईओ उत्तरदायी होगा।

2. अवार्ड (बालिकाओं हेतु पुरस्कार)

परिचय एवं उद्देश्य –

बालिकाओं में शिक्षा के प्रति रूचि एवं शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की कार्य योजना एवं बजट सत्र 2010–11 में प्रति बालिका क्रमशः 1000, 500 एवं 250 रूपये नगद पुरस्कार के रूप में देने का प्रावधान किया है।

इन पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहित करना एवं अन्य बालिकाओ को बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है।

चयन प्रक्रिया –

- शैक्षिक सत्र 2009–10 के जिला स्तरीय ऑठवी बोर्ड परीक्षा (डाइट) के परीणाम के आधार पर प्रत्येक ब्लॉक पर कक्षा VIII में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की तीन बालिकाओं का चयन किया जायेगा।
- बालिकाएं अल्पसंख्यक समुदाय की होनी चाहिए।
- प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान की जानकारी प्रत्येक जिले की डाइट से प्राप्त की जा सकती है।

पुरस्कार वितरण –

- प्रत्येक ब्लॉक पर कक्षा VIII में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को पुरस्कार राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) के रूप में दिये जाए।
- समान अंक (प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान) प्राप्त करने वाली प्रत्येक बालिका को पुरस्कार स्वरूप राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) के रूप में दिये जाए।
- पुरस्कारों का वितरण समारोह आयोजन कर किया जावे।
- उक्त समारोह में स्थानीय पार्षद/विधायक/प्रशासनिक अधिकारी को बुलाया जावे।
- 15 अगस्त 2010, 2 अक्टूबर 2010, 26 जनवरी 2010 के समारोह में भी इन पुरस्कारों को देकर बालिकाओं को सम्मानित किया जा सकता है।
- प्रवेशोत्सव में भी इन पुरस्कारों को देकर अन्य बालिकाओं को बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

प्रक्रिया –

- समस्त बीआरसीएफ/बीईईओ अपने–अपने ब्लॉक में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के नाम 20 जुलाई, 2010 तक जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समस्त ब्लॉक से प्राप्त सूचियों को समेकित कर स्वीकृति जारी कराएंगे।
- प्रत्येक ब्लॉक को 1750/– रूपये अथवा सूची अनुसार राशि स्थानान्तरित की जायेगी।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समस्त जिले की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त बालिकाओं की सूची निम्न प्रारूप में परिषद् मुख्यालय (नवाचारी प्रकोष्ठ) पर भिजवाना सुनिश्चित करे।

प्रारूप

क्रमांक	छात्रा का नाम	पिता का नाम	ब्लॉक	स्थान	विद्यालय का नाम
				I	
				II	
				III	

- बीआरसीएफ/बीईईओ पुरस्कार प्राप्त छात्रा के नाम से राष्ट्रीय बचत पत्र डाकघर से जारी करायेगे एवं समारोह आयोजित कर वितरित करेंगे।

3. अभिभावक, सामुदायिक मुखियाओं एवं जनप्रतिनिधियो की कार्यशाला

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग के बालक/बालिकाओं को अधिकाधिक शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य पूर्ती हेतु समुदाय में जागरूकता लाया जाना आवश्यक है। इसके लिए अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के जनप्रतिनिधियों/मुफ्ति/मौलवियों/स्वैच्छिक संगठनो के प्रतिनिधियों/प्रशासन के अधिकारियों/अभिभावको को आमत्रित कर **ब्लॉक स्तर पर** कार्यशाला का आयोजन किया जाना है, जिससे मुस्लिम समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो तथा विशेष तौर पर मुस्लिम बालिकाओं को औपचारिक शिक्षण व्यवस्था से जोडा जावे। इस हेतु सभी जिलो में नवाचारी शिक्षा के अन्तर्गत एक दिवसीय कार्यशाला (दो बार) **माह**

जुलाई एवं माह दिसम्बर में किया जाना है। इन कार्यशालाओं हेतु बजट प्रावधान अल्पसंख्यक शिक्षा मद में किया गया है। इसके लिए निर्देश निम्न प्रकार है–

1. प्रत्येक ब्लॉक पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन माह जुलाई एवं दिसम्बर में किया जाए।
2. प्रत्येक कार्यशाला में न्यूनतम 100 व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जावें तथा उपलब्ध बजट सीमा में व्यय किया जावें। यूनिट कॉस्ट 150 रूपये प्रति संभागी है।
3. कार्यशाला में जिलाधीश महोदय/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार को भी आमंत्रित किया जावे।
4. कार्यशाला में दो संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित किया जावें। सन्दर्भ व्यक्ति बीआरसीएफ/बीईईओ/ एपीसी अथवा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक हो सकते है। संदर्भ व्यक्ति सर्व शिक्षा अभियान की समस्त गतिविधियों की जानकारी रखता हो। इन संदर्भ व्यक्तियों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की समस्त गतिविधियों एवं समस्त बालक/बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाना है।
5. **बजट प्रावधान जिले के प्लान 2010–11 में प्राविधित राशि से अधिक व्यय नही किया जावें।** प्रति व्यक्ति 150 रूपये निर्धारित है। उक्त बजट में आने जाने का वास्तविक किराया एक समय का भोजन, दो समय चाय–नाश्ता, स्टेशनरी का व्यय एवं अन्य व्यवस्थाओं पर व्यय सम्मिलित है।
6. **कार्यशाला में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जावें।**
   - सर्व शिक्षा अभियान, उसके उद्देश्य की जानकारी।
   - अल्पसंख्यक नवाचारी गतिविधियों का महत्व एवं जानकारी।
   - सर्व शिक्षा अभियान की अन्य गतिविधियों की जानकारी।
   - सर्व शिक्षा अभियान में जन सहभागिता।
   - अल्पसंख्यक अनांमाकित/ड्राप आउट की स्थिति पर चर्चा।
   - विद्यार्थियों की नियमितता पर चर्चा।
   - विद्यालय में नहीं जाने के कारणों पर चर्चा।
   - सी.टी.एस. की जानकारी।

कार्यशाला टाइमटेबल

सामुदायिक मुखियाओं का एक दिवसीय कार्यशाला

प्रात : 9.30 बजे	पंजीयन, प्रार्थना, परिचय सत्र
प्रात : 11.00 बजे	कार्यशाला का परिचय एवं उद्देश्य
प्रात : 11.30 बजे	जलपान
अपरान्ह 12.00 बजे	शिक्षा का महत्व, अशिक्षा, अंध विश्वास निराकरण डॉक्यूमेन्टरी चलचित्र प्रदर्शन
अपरान्ह 1.15 बजे	सर्व शिक्षा अभियान की अन्य गतिविधियों की जानकारी एवं अल्पसंख्यक नवाचारी गतिविधियों का महत्व एवं जानकारी।
अपरान्ह 1.30 बजे	सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वियन में जन सहभागिता की आवश्यकता, शैक्षिक विकास में योगदान पर चर्चा
अपरान्ह 2.00 बजे	भोजनावकाश
	सर्व शिक्षा अभियान में जन सहभागिता। अल्पसंख्यक अनांमाकित/ड्राप आउट की स्थिति पर चर्चा। विद्यालय में नहीं जाने के कारणों पर चर्चा।
अपरान्ह 4.00 बजे	सामुदायिक मुखियाओं का विद्यालय के शैक्षिक, भौतिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय प्रबन्धन में योगदान
अपरान्ह 5.00 बजे	सीटीएस पर चर्चा। सामुदायिक मुखियाओं, अभिभावको, जनप्रतिनिधियों का शैक्षिक विकास के प्रति उत्तरदायित्व एवं योगदान
सांयकाल 6.00 बजे	विसर्जन–साधुवाद सहित

अन्य निर्देश –

1. **कार्यशाला समाप्ति पश्चात प्रतिवेदन जिला परियोजना समन्वयको एवं परिषद् मुख्यालय को मय फोटो भेजा जावें।**
2. उक्त कार्यशाला में व्यय के वाउचर्स का प्रमाणीकरण जिला परियोजना समन्वयक द्वारा प्रमाणीकरण पश्चात ही समायोजन किया जावें।
3. कार्यशाला हेतु जिला परियोजना समन्वयक द्वारा नियमानुसार 150 रूपये प्रति अभिभावक/संभागी राशि सम्बन्धित एसडीएमसी को जारी की जायेगी।
4. कार्यशाला में भाग लेने वाले अभिभावक/समुदाय के जन प्रतिनिधि एवं मुखियाओं इत्यादि की उपस्थिति चार्ट मय हस्ताक्षर जिला परियोजना कार्यालय एवं परिषद् मुख्यालय पर अवश्य भिजवाये।
5. किसी भी स्थिति में निर्धारित बजट प्रावधान से अधिक राशि व्यय नहीं की जावें।
6. संभागियों की संख्या कम होने पर अनुपातिक व्यय ही किया जावें।
7. सहायक लेखाधिकारी, जिला मुख्यालय कार्यालय, गतिविधि समाप्ति के 15 दिवस में समायोजन सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आमुखीकरण का कार्य जुलाई माह एवं दिसम्बर माह में संपादित कर सूचना परिषद् स्तर पर प्रेषित करे।

4. यूनिफॉर्म वितरण (अल्पसंख्यक शिक्षा–नवाचारी शिक्षा)

अल्पसंख्यक बालिकाओं को उपरोक्त तालिका में निर्देशित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसार यूनिफॉर्म वितरण गतिविधि हेतु निम्न प्रकार दिशा निर्देश प्रदान किए जाते है।

- **यूनिफॉर्म का वितरण राजकीय विद्यालयों एवं रजिस्टर्ड मदरसों में कक्षा VI एवं VII में अध्ययनरत बालिकाओं को किया जाना है।**
- **कक्षा VI एवं VII को वितरण पश्चात यदि इस मद में बचत होती है तो कक्षा VIII की बालिकाओं को, जहां जेण्डर गेप अधिकतम हो, को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई जा सकती है।**
- यूनिफॉर्म की यूनिट लागत 250/– रुपये प्रति बालिका है।
- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, यूनिफॉर्म वितरण की प्राप्ति रसीद बालिका अथवा अभिभावक से प्राप्त होने पर ही राशि का समायोजन करें।
- **किसी भी स्थिति में जिले हेतु उक्त मद में आवंटित बजट से अधिक की राशि का व्यय नहीं किया जावें।**
- राजकीय विद्यालयों/ रजिस्टर्ड मदरसों में अध्ययनरत बालिकाओं की संख्या के आधार पर 250/– रुपये प्रति बालिका के अनुसार राशि समीप की एसडीएमसी को हस्तान्तरित की जावें।
- बालिकाओं के लिए सही नाम व गुणवत्तापूर्ण कपडे व सिलाई की यूनिफॉर्म क्रय करने अथवा कपडा क्रय कर सिलवाने की जिम्मेदारी एसडीएमसी एवं संस्था प्रधान की होगी।
- **यूनिफॉर्म हेतु कपडा खादी भण्डार अथवा बुनकर संघ से ही क्रय किया जावें।**
- एपीसी/बीआरसीएफ/सीरआरसीएफ यह सुनिश्चित करेंगे की यूनिफॉर्म गुणवत्तापूर्ण एवं बालिकाओं के साईज़ की हों।
- यूनिफॉर्म का वितरण समारोह आयोजित कर किया जाना है, जिसमें स्थानीय पार्षद/विधायक/ स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी/जिला प्रभारी को आमन्त्रित कर यूनिफार्म का वितरण कराया जावें।
- यूनिफॉर्म वितरण के पश्चात सूचना निम्न प्रारूप में परिषद मुख्यालय को अवश्य प्रेषित करें।

प्रारूप

जिले का नाम –

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	संकुल का नाम	विद्यालय का नाम	बालिकाओं की संख्या जिन्हें यूनिफॉर्म वितरण की गई
योग				

नोट – अलवर एवं भरतपुर जिलो में यूनिफॉर्म हेतु बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण यूनिफार्म वितरित नहीं की जावें।

5. टी.एल.एम.(अल्पसंख्यक शिक्षा)

अल्पसंख्यक बालिकाओं को उपरोक्त तालिका में निर्देशित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसार ''ज्योमिति बॉक्स'' वितरण गतिविधि हेतु निम्न प्रकार दिशा निर्देश प्रदान किए जाते है।

- ''ज्योमिति बॉक्स'' का वितरण राजकीय विद्यालयों एवं रजिस्टर्ड मदरसों में कक्षा VIII में अध्ययनरत बालिकाओं को किया जाना है।
- ''ज्योमिति बॉक्स'' की अधिकतम लागत 60/– रुपये प्रति बालिका है।
- ''ज्योमिति बॉक्स'' में निम्नसामग्री होनी अनिवार्य है –

सामग्री	संख्या	अधिकतम लागत
✓ स्केल 6 इन्च	एक	5.00
✓ रबर	दो	4.00
✓ शॉर्पनर	दो	5.00
✓ पेन्सिल	दो	4.00
✓ प्रकार (Compass)	एक	10.00
✓ डी	एक	5.00
✓ सैट स्क्यर	सैट	5.00
✓ पैन (नीला एवं लाल)	दो	12.00
✓ बाक्स	एक	10.00

- अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, ''ज्योमिति बॉक्स'' वितरण की प्राप्ति रसीद बालिका अथवा अभिभावक से प्राप्त होने पर ही राशि का समायोजन करें।
- **किसी भी स्थिति में जिले हेतु उक्त मद में आवंटित बजट से अधिक की राशि का व्यय नहीं किया जावें।**
- राजकीय विद्यालयों/ रजिस्टर्ड मदरसों में अध्ययनरत बालिकाओं की संख्या के आधार पर 60/– रुपये प्रति बालिका के अनुसार राशि समीप की एसडीएमसी को हस्तान्तरित की जावें।
- ज्योमिति बॉक्स एवं उसकी सामग्री उच्च क्वालिटी एवं ब्राण्ड्रेड कम्पनी की होनी चाहिए।
- एपीसी (नवाचारी शिक्षा)/बीआरसीएफ/बीईईओ/सीआरसीएफ/नोडल प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे की ''ज्योमिति बॉक्स'' गुणवत्तापूर्ण एवं ब्राण्ड्रेड कम्पनी का हो।
- **सामग्री जिला मुख्यालयों पर नियमानुसार टेण्डर लेकर क्रय कर उपलब्ध कराई जा सकती है। यदि जिला स्तर पर क्रय की जाती है तो इस हेतु निम्न कमेटी का गठन किया जाना है।**
  1. **जिला परियोजना समन्वयक — अध्यक्ष**
  2. **जिला मुख्यालय/ब्लॉक का बीआरसीएफ/बीईईओ — सदस्य**
  3. **ए.पी.सी. (नवाचारी शिक्षा) — सदस्य**
  4. **सहायक लेखाधिकारी (जिला मुख्यालय) — सदस्य**
- जिला मुख्यालय, टी.एल.एम. वितरण के बाद बीआरसीएफ/बीईईओ से प्राप्त सूचना समेकित कर निम्न प्रारूप में परिषद् मुख्यालय को अवश्य प्रेषित करें।

प्रारूप

जिले का नाम –

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	कुल वितरण ''ज्योमिति बॉक्स''	वि. वि.
योग			

नोट – अलवर एवं भरतपुर जिलो में टी.एल.एम. हेतु बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण यह गतिविधि सम्पन्न नहीं की जायेगी।

6. अल्पसंख्यक शिक्षा (नवाचारी मद) के अन्तर्गत ''समन्वयको'' की प्रतिनियुक्ति (On Deputaion)

भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की कार्य योजना एवं बजट सत्र 2010–11 हेतु प्रत्येक जिले में (अलवर एवं भरतपुर को छोड़कर) नवाचारी शिक्षा गतिविधियों विशेषकर अल्पसंख्यक शिक्षा एवं रजिस्टर्ड मदरसों को सम्बलन प्रदान करने के लिए एक–एक समन्वयक प्रतिनियुक्ति पर रखने हेतु बजट प्रावधान किया है। ये समन्वयक जिला मुख्यालय पर प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। यूनिट कॉस्ट प्रति समन्वयक प्रति माह 25,000/– रूपये स्वीकृत की गई है। (वेतन+अन्य परिलाभ)। इन पदों पर वर्तमान में राजकीय विद्यालयों में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों को लगाया जाना है।

अतः सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड, जयपुर प्रत्येक जिले हेतु (अलवर एवं भरतपुर को छोड़कर) एक समन्वयक का चयन कर प्रतिनियुक्ति करवाना सुनिश्चित करे एवं चयनित समन्वयकों की सूची राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् (सर्व शिक्षा अभियान) जयपुर एवं जिला परियोजना कार्यालयों (समस्त जिले) को प्रेषित करें, जिससे इन समन्वयको के वेतन हेतु राशि उपलब्ध कराने के लिए जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देशित किया जा सके। इन समन्वयको को भुगतान नवाचारी शिक्षा की उपमद अल्पसंख्यक शिक्षा मद से किया जायेगा।

7. गणित एवं विज्ञान किट

भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की कार्य योजना एवं बजट सत्र 2010–11 में नवाचारी शिक्षा पद की उपमद अल्पसंख्यक शिक्षा में ''राज्य के प्रत्येक उच्च प्राथमिक स्तर के रजिस्टर्ड मदरसों'' हेतु विज्ञान एवं गणित किट देने का प्रावधान किया है। अनुमोदित बजट के अनुसार विज्ञान एवं गणित किट के एक सैट (विज्ञान + गणित) की अनुमानित लागत 5000/– (अक्षरे पाँच हजार रूपये) का प्रावधान किया गया है।

टाईम लाईन चार्ट –

अल्पसंख्यक नवाचारी शिक्षा की समस्त गतिविधियों का टाईम लाईन चार्ट निम्नप्रकार है –

Sr. No.	Activity	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
1	टी.एल.एम.							■	■				
2	शैक्षिक भ्रमण (एक्सपोज़र विज़िट)										■	■	
3	स्किल डवलपमेन्ट कैम्प					■	■						
4	अवार्ड	■							■		■		
5	अभिभावक/समुदाय मुखियाओं की कार्यशाला							■					■
6	समन्वयक वेतन + भत्ते	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	विज्ञान /गणित किट						■	■					
8	यूनिफॉर्म (कक्षा 6 एवं 7)							■	■				